18 अरबन स्लम कार्यक्रम

शहरी क्षेत्रों में 6–14 आयु वर्ग के अनेक बालक/बालिकाएं विभिन्न सामाजिक, आर्थिक कारणों से विद्यालयों में पढ़ने नहीं जा पाते है या विद्यालयों में प्रवेश लेकर कुछ समय पश्चात विद्यालय छोड़ देते है। ऐसे बालक प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते है। इनमें वे बालक/बालिकाएं सम्मिलित है, जो कचरा बीनने, भीख माँगने, दुकानों/चाय स्टॉलों पर कार्य करते, घरों में घरेलु कार्य करने, रेलवे स्टेशनों व बस स्टॉपों पर कार्य कर रहे है।

ऐसे बालक/बालिकाओं के लिए पृथक–पृथक स्टे होम्स का संचालन कर इन्हें सायंकाल, रात्रि में एवं प्रातःकाल एक निश्चित स्तर तक की (बालक/बालिका के स्तर अनुसार) शिक्षा उपलब्ध कराई जावे। ''स्टे होम'' उपरोक्त प्रकार के बालक/बालिकाओं को शिक्षित करने हेतु चलाये जाने वाले आवासीय शिक्षण केन्द्र की अवधारणा है।

भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना एवं बजट सत्र 2010–11 हेतु नवाचारी मद की उपमद Education for Deprived Children के लिए निम्न गतिविधियों का अनुमोदन किया गया है, जिसके अनुसार जिलेवार भौतिक एवं वित्तिय लक्ष्य संलग्न कर भिजवाएं जा रहे है।

1. गतिविधि एवं बजट प्रावधान :–

क्रसं.	जिले का नाम	Activities + Target Stay Home	
		Phy.	**Fin.**
1	अजमेर	140	14.000
2	बीकानेर	80	8.000
3	भरतपुर	40	4.000
4	जयपुर	140	14.000
5	जोधपुर	140	14.000
6	कोटा	90	9.000
7	उदयपुर	70	7.000
	योग	**700**	**70.000**

2. **स्टे होम हेतु बालक/बालिकाओं की संख्या –** स्टे होम के संचालन हेतु बालक/बालिकाओं की न्यूनतम संख्या 30 तथा अधिकतम संख्या 50 होनी चाहिए। बालक/बालिकाओं के लिए स्टे होम का संचालन पृथक–पृथक किया जाना है जहाँ तक संभव हो 50 बालक/बालिका प्रत्येक स्टे होम में होने ही चाहिए। राज्य के इन सात बड़े शहरों में बहुत अधिक संख्या में इस प्रकार के बालक/बालिकाएं ड्रॅाप आउट एवं अनामांकित है।
अजमेर, जयपुर, जोधपुर में 3 स्टे होम कुल बालक/बालिकाएं (50+50+40=140) एवं बीकानेर में 2 प्रत्येक 40+40 बालक/बालिका, कोटा में 2, बालक–बालिका संख्यां 45+45 एवं उदयपुर में भी 2 बालक/बालिका अधिकतम संख्या 35+35 चलाये जाने है। एक स्टे होम में अधिकतम बालक/बालिका संख्या 50 हो सकती है।
3. **ग्रुप –**
   1. स्टे होम में बालक/बालिकाओं को दो ग्रुप में बांटा जायेगा। प्रथम ग्रुप कक्षा 2 से 5 तक एवं दूसरा ग्रुप कक्षा 6 से 8 तक का होगा।
   2. प्रत्येक ग्रुप में क्रमशः वार्डन कम संदर्भ शिक्षक/शिक्षिका एवं संदर्भ शिक्षक/शिक्षिका द्वारा अध्यापन एवं अन्य गतिविधियां कराई जायेगी।
4. **बालक/बालिकाओं का चिन्हिकरण –**
   - ✓ स्टे होम के लिए पात्र बालक/बालिकाओं का चिन्हिकरण जिले के जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा अरबन स्लम कार्यक्रम के प्रभारी (एपीसी) सम्बन्धित बी.आर.सी.एफ., सी.आर.सी.एफ. एवं एसडीएमसी सदस्यों की सहायता से किया जायेगा।

- ✓ चिन्हिकरण का कार्य 30 मई से पूर्व पूर्ण कर लिया जावें। सीआरसीएफ/अध्यापकों एवं एसडीएमसी के सदस्यों द्वारा सर्वे किया जाकर बालक /बालिकाओं का चिन्हिकरण किया जावें।
- ✓ प्रतिष्ठित स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चिन्हित बालक/बालिकाओं का बी.आर.सी.एफ. द्वारा प्रमाणीकरण किया जायेगा, उन्हें भी स्टे होम से जोड़ा जा सकता है।
- ✓ चिन्हित बालक/बालिकाओं की सूची परिषद् मुख्यालय पर 1 से 7 जून के मध्य अवश्य प्रेषित की जावें।
- ✓ चिन्हित बालक/बालिकाओं का स्टे होम संचालन से पूर्व निकटतम विद्यालय में उनकी आयु अनुरूप नामांकन कराया जाना अनिवार्य है। अतः जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित होने पर कि सभी बालक/बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन हो गया है, स्टे होम संचालन की स्वीकृति जारी करेंगे।
- ✓ बालक/बालिकाओं का चिन्हिकरण पश्चात जिला कलक्टर से अनुमोदन अवश्यक करावें। अनुमोदन पश्चात ही स्टे होम शुरू किया जावें।

5. संचालन समिति –

स्टे होम का संचालन एक समिति के माध्यम से किया जायेगा, जो निम्न प्रकार होगी –

- बी.आर.सी.एफ./बीईईओ – अध्यक्ष
- एसडीएमसी का अध्यक्ष – सदस्य सचिव
- संबंधित संकुल का सीआरसीएफ – सदस्य
- एपीसी (नवाचारी) – सदस्य सचिव
- वार्डन –सदस्य

शिविर के प्रभावी संचालन का दायित्व उक्त समिति का होगा। समिति द्वारा आवास, भोजन, सुरक्षा एवं अन्य समस्त व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना है। एसडीएमसी अध्यक्ष एवं वार्डन समिति की अभिशंषा पर स्टे होम हेतु आवश्यक क्रय के लिए अधिकृत होंगें।

6. संचालन अवधि – स्टे होम का संचालन 10 माह किया जायेगा। (1 जुलाई 2010 से 30 अप्रेल 2011) 30 अप्रेल के बाद इन बालक/बालिकाओं को उनकी शैक्षणिक क्षमता (Competence) के अनुसार मुख्यधारा से जोडा जावें। यदि किसी कारण से स्टे होम देरी से या कम बालक–बालिकाओं हेतु संचालित है तो बजट का उपयोग भी अनुपातिक रूप से किया जायेगा।

7. कार्मिकों के दायित्व –

1. सहायक परियोजना समन्वयक दायित्व –
- ✓ स्टे होम हेतु प्राप्त प्रस्तावों की जाँच।
- ✓ प्रस्तावित स्थान पर बिना किराये के भवन की उपलब्धता जांचकर आवश्यक होने पर किराये के भवन की स्वीकृति जारी करना।

2. सीआरसीएफ का दायित्व –
- ✓ स्थान का चयन एवं बालक/बालिकाओं का चयन।
- ✓ संदर्भ व्यक्ति का चयन।
- ✓ स्टे होम की व्यवस्थाएँ (भोजन/अकादमिक/सुरक्षा/मूलभूत सुविधा)
- ✓ सप्ताह में दो बार स्टे होम का निरीक्षण अवश्य करें।

3. संदर्भ व्यक्ति का दायित्व –
- ✓ स्टे होम में छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- ✓ यदि किसी दिन 30 से कम उपस्थिति पाई गई तो सन्दर्भ व्यक्तियों को अनुपातिक भुगतान किया जायेगा।
- ✓ अभिलेख संधारण एवं निरीक्षण के दौरान प्रस्तुत करना।
- ✓ कक्षा–कक्ष अधिगम/आऊटडोर गतिविधियों का संचालन।
- ✓ दैनिक समय सारणी की अनुपालना सुनिश्चित करना।

4. **संचालन समिति के दायित्व –**
   - ✓ स्टे होम संचालन में सम्पूर्ण भागीदारी।
   - ✓ बालक/बालिकाओं के अभिभावकों से जुडाव।
   - ✓ बालक/बालिकाओं का नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना एवं शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना।
   - ✓ स्टे होम की भोजन व्यवस्था/शिक्षण व्यवस्था का परीवीक्षण व कठिनाइयों का निराकरण।

8. **इकाई लागत वित्तिय प्रावधान –** स्टे होम संचालन हेतु प्रति बालक/बालिका इकाई लागत 10,000/– रूपये है, जिसका व्यय निम्नानुसार किया जाना है।

क्रसं	विवरण	इकाई लागत	कुल व्यय
1	भोजन व नाश्ता	50x25x300	3,75000
2	**बिस्तर**		
(अ)	20 गद्दे x 300	20x300	6,000
(ब)	40 रजाई x 300	40x300	12,000
3	शिक्षक वार्डन का मानदेय	2000x10	20,000
4	संदर्भ व्यक्तियों का मानदेय	2000x10	20,000
5	शिक्षण सामग्री (बालको हेतु)	200x50	10,000
6	केन्द हेतु सामग्री	50x160	8,000
7	आकस्मिक व्यय (सफाई बिजली, पानी, चिकित्सालय व्यय इत्यादि)	1000x10	9,000
8	भवन किराया	2500x10	25,000
9	रसोईया कम चौकीदार	1500x10	15,000
	योग		**500,000**

- ✓ स्टे होम से सम्बन्धित बजट राशि किश्तों में एसडीएमसी खातों में हस्तान्तरित की जावें।
- ✓ स्टे होम व्यवस्थओ पर होने वाले समस्त व्यय का भुगतान संचालन समिति की अनुशंषा पश्चात किया जावे।
- ✓ गद्दे एवं रजाई यदि पूर्व में क्रय नहीं किए गये है तो इस सत्र में क्रय कर लिए जाए। किराए पर लेने की आवश्यकता नहीं है एवं शिविर समाप्ति के पश्चात बीआरसीएफ/सीआरसीएफ कार्यालय में जमा कराएं, जिससे आमागी वर्षो में प्रयोग में लिए जा सके। पूर्व में क्रय किए गये रजाई, गद्दे यदि सही नहीं है तो मरम्मत करा ली जावें।
- ✓ उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला परियोजना समन्वयक को प्रस्तुत करने पर ही अगली किश्त जारी की जावे।
- ✓ **निर्धारित बजट से अधिक राशि किसी भी स्थिति में व्यय नहीं की जावें, परन्तु बच्चों की संख्या कम होने पर अनुपातिक व्यय ही किया जावें।**
- ✓ समायोजन राशि एवं असमायोजन राशि के सम्बन्ध में जिला स्तर, ब्लॉक एवं एसडीएमसी स्तर पर अभिलेख संधारित किये जावें।
- ✓ अनावश्यक भुगतान रोके जाने एवं उसी वित्तीय वर्ष में भुगतान नहीं होने पर अगले वित्तीय वर्ष में भुगतान करने की स्वीकृति नहीं दी जायेगी एवं दोषी अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी।

नोट – स्टे होम संचालन हेतु क्रय किया जाने वाला स्थायी प्रकृति का सामान स्टे होम की समाप्ति के पश्चात बीआरसीएफ/सीआरसीएफ को हस्तान्तरित अवश्य करें, जिससे की भविष्य में स्टे होम अथवा कार्यक्रमों में इस सामग्री का उपयोग किया जा सके। यदि जिले में पूर्व से ही स्टे होम के संचालन हेतु स्थायी प्रकृति का सामान उपलब्ध है। तो पुनः क्रय नहीं किया जावें।

बच्चों को दी जाने वाली सामग्री (प्रति बालक)

क्रसं	मद	संख्या	दर	धन राशि
1	कापियाँ (80 पेज़)	12	6	72.00
2	पैन्सिल	12	2	24.00
3	रबर	5	2	10.00
4	क्रेयान	1 Pkt.	14	14.00
5	स्केल प्लास्टिक, परकार, चांदा इत्यादि	4	20	20.00
6	पैन	2	5	10.00
7	किताबें	Free		
8	स्कूल बैंग	1	50	50.00
	योग			**200.00**

केन्द्र हेतु उपकरण/सामग्री

क्रसं	सामग्री का नाम	प्रयोग	संख्या	दर	धन राशि
1	बॉक्स ताला सहित (3'x2'x'2) 24 गेज	रिकार्ड एवं अन्य सामान रखने हेतु	1	700	700.00
2	ब्लैक बोर्ड लकडी स्टेण्ड सहित (पूर्व में उपलब्ध हो तो क्रय न करें)	शिक्षण हेतु	2	550	1100.00
3	चटाई (6'x3')/दरी पट्टी	बैठने हेतु	15	70	1050.00
4	बाल्टी ढक्कन सहित	जल संग्रह	2	100	200.00
5	डण्डी वाला लोटा	पानी निकालने हेतु	2	25	50.00
6	रिंग	खेलने हेतु	4	20	80.00
7	कूदने वाली रस्सी	खेलने हेतु	4	20	80.00
8	कैरम बोर्ड	खेलने हेतु	2	300	600.00
9	चॉक	लिखने हेतु	1 (पैकेट)	200	200.00
10	चार्ट पेपर	टीएलएम हेतु	30	3	120.00
11	रजिस्टर (2 दस्ते)	रिकार्ड हेतु	4	20	80.00
12	छात्र उपस्थिति पत्रिका	छात्रों की उपस्थिति हेतु	1	25	25.00
13	गौंद	कार्यालय उपयोग	200gm	40	40.00
14	कागज़	शिक्षण/कार्यालय	2 (रिम)	125	250.00
15	कैंची	टीएलएम हेतु	1	60	60.00
16	चार्ट/मानचित्र (राज्य, देश, संसार, पशु, पक्षी, फल, सब्जी, गिनती, पहाडे इत्यादि)/वर्ण माला (हिन्दी, अंग्रेजी)	शिक्षण हेतु	8	15	120.00
17	नेलकटर	बच्चों हेतु	2	20	40.00
18	साबुन कपडे धोने वाला	कपडे धोने हेतु	55	10	550.00
19	साबुन नहाने वाला	नहाने हेतु	50	10	500.00
20	डस्टर	टीएलएम हेतु	5	10	50.00
21	स्केल, चांदा, परकार	टीएलएम हेतु	1	25	25.00
22	स्कैच पैन	टीएलएम हेतु	2 (दर्जन)	20	40.00
23	पोस्टर/वाटर कलर	टीएलएम हेतु	2 (पैकेट)	40	80.00

24	अबकेस बडा	शिक्षण हेतु	1	85	85.00
25	मँजन (कोलगेट)	दाँतों की सफाई	30	20	600.00
26	टूथ ब्रुश	दाँतों की सफाई	60	10	600.00
27	कंघी, तेल, शीशा	बालों की सफाई			175.00
28	पैट्रो मेक्स (यदि आवश्यक हो)	रोशनी हेतु	2	200	400.00
29	झाडू	सफाई हेतु	4	25	100.00
	योग				**8000.00**

नोट :– 1. सभी क्रय अथवा प्रोक्योरमैन्ट विद्यालय विकास एवं प्रबन्ध समिति द्वारा किया जायेगा।
2. आकस्मिक व्यय से मेडिकल किट की व्यवस्था की जावें।

9. सामान्य कार्य प्रक्रिया –

(अ) प्रस्ताव – प्रभारी एपीसी/बाआरसीएफ द्वारा प्रस्ताव निर्धारित प्रपत्र **(परिशिष्ट 01)** में लिए जावेगे।

(ब) रिकार्ड संधारण – इन केन्द्रों पर बच्चों के फोटो आवेदन पत्र छात्र एवं शिक्षक वार्डन उपस्थिति रजिस्टर कम वाउचर्स, स्थाई एवं अस्थाई स्टॉक रजिस्टर, विजिट बुक आदि का संधारण किया जायेगा, जिसका विस्तृत विवरण **(परिशिष्ट 2 एवं 3)** पर उपलब्ध है।

10. अभिलेख संधारण –

निम्नलिखित अभिलेखों का संधारण किया जावे।

- स्टॉफ उपस्थिति पंजिका
- छात्र–छात्रा उपस्थिति पंजिका
- स्थाई सामग्री रजिस्टर
- प्रवेश रजिस्टर
- आगुन्तक रजिस्टर
- अस्थाई सामग्री रजिस्टर
- मेडिकल जाँच रजिस्टर
- बैठक रजिस्टर
- प्रवेश फाईल
- मासिक अधिव्यय पत्रावली
- पत्र व्यवहार फाईल
- आवक–जावक पंजिका
- समय विभाग चक्र
- वाऊचर फाईल
- विजिटर्स रजिस्टर

11. बालक–बालिका का चयन/चिन्हिकरण –

- ✓ जिला परियोजना समन्वयक/अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक शहरी क्षेत्र में स्टे होम को संचालित करने के लिए पात्र बालक/बालिकाओं का सर्वे कराकर, सर्वे से प्राप्त सूची अनुसार बालक/बालिकाओं के लिए स्टे होम संचालन के लिए पूर्णतया उत्तरदायी होगा।
- ✓ स्टे होम प्रभारी बालक/बालिकाओं के अभिभावकों से सम्पर्क कर स्टे होम में भर्ती कराने हेतु अभिभावकों की सहमति प्राप्त करेंगे।
- ✓ स्टे होम के नामांकन हेतु चयनित बालक/बालिकाओं की आयु 8 वर्ष से 14 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।

12. स्थान चयन –

- ✓ भवन 50 बालक/बालिकाओं के आवास एवं शिक्षण हेतु उपयुक्त एवं सुरक्षित हो भवन में बिजली, पानी, स्नानघर एवं शौचालय की समुचित व्यवस्था हों।
- ✓ स्टे होम का संचालन शहर में कच्ची बस्तियों के निकट रेलवे स्टेशन एवं बस स्टेण्ड के आस–पास ऐसे स्थान जहां राजकीय भवन/सामुदायिक भवन, जिसमें न्यूनतम तीन कक्ष स्थित हो, में किया जायेगा।
- ✓ राजकीय/सामुदायिक भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में ऐसे किराये के भवन में संचालित किया जा सकता है, जिसमें न्यूनतम तीन कमरें हो तथा पानी, बिजली एवं शौचालय आदि की पर्याप्त व्यवस्था हो।
- ✓ भवन किराया 2500 रूपये प्रतिमाह अधिकतम तक ही देय होगा। किराये की स्वीकृति जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जारी की जायेगी।

13. पाठ्यक्रम –

- ✓ कन्डेन्स पाठ्यक्रम के आधार पर शिक्षण व्यवस्था की जावेंगी।
- ✓ कन्डेन्स पाठ्यक्रम अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराये जावेंगे।

14. मूल्यांकन –

- ✓ साप्ताहिक उपलब्ध स्तर की जाँच हेतु सप्ताह के अन्त में टेस्ट लिया जावें व समस्त मूल्यांकन का रिकार्ड संधारित किया जावे। **(परिशिष्ट –2)**

15. स्टे होम का समय विभाग चक्र –

समय	दैनिक कार्यक्रम
प्रातः 7:00 से 7:30	प्रार्थना, प्रवचन, भजन, समाचार एवं अन्य सामान्य जानकारी
प्रातः 7:30 से 8:00	शिक्षण हिन्दी
प्रातः 8:00 से 8:30	शिक्षण गणित
प्रातः 8:30 से 9:00	शिक्षण अंग्रेजी
प्रातः 9:00 से सांय 6:00	अवकाश (कार्य पर जाने का समय)
सांय 6:00 से 7:00	भोजन
सांय 7:00 से 7:30	शिक्षण विज्ञान
सांय 7:30 से 8:00	शिक्षण सामान्य विज्ञान
रात्रि 8:00 से 9:00	अभ्यास कार्य
रात्रि 9:00 से 10:00	रात्रि संग चर्चा साहित्यिक एवं सांस्कृति गतिविधियां
रात्रि 10:00	शयन

प्रातःकाल 5:30 से 7:00 बजे तक दैनिक कार्यो से निवृत (व्यायाम, सफाई, स्नान, चाय–बिस्किट)

16. वार्डन संदर्भ शिक्षक एवं स्टॉफ का चयन तथा अन्य शर्ते –

- ✓ स्टे होम हेतु वार्डन कम सन्दर्भ शिक्षक एवं संदर्भ शिक्षक का चयन स्टे होम संचालन पूर्व किया जाना है।

- ✓ वार्डन कम संदर्भ शिक्षक एवं संदर्भ शिक्षक का चयन निम्न समिति के माध्यम से किया जायेगा।
  - ○ जिला परियोजना समन्वयक — अध्यक्ष
  - ○ सहायक परियोजना समन्वयक — सचिव
  - ○ अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक — सदस्य
  - ○ बीआरसीएफ — सदस्य
  - ○ अन्य ब्लॉक बीआरसीएफ — सदस्य
  - ○ कैम्प परिधि क्षेत्र के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक (2) — सदस्य
- ✓ स्टे होम आवासीय है। अतः वार्डन कम शिक्षक एवं संदर्भ शिक्षक को रात्रि विश्राम वहीं करना होगा।
- ✓ वार्डन कम संदर्भ शिक्षक/संदर्भ शिक्षक के रूप में भी कार्य करेंगा।/सम्पूर्ण व्यवस्था की निगरानी करेगा एवं अध्ययन कार्य भी पूर्ण सहयोग करेगा।
- ✓ चौकीदार/सहायक कर्मचारी/रसोईया, तीसरा कार्यकर्ता के रूप में विकल्प के आधार पर आवश्यकतानुसार एवं मानदण्डो के अनुसार लगाये जायेगे।
- ✓ वार्डन एवं सन्दर्भ शिक्षक की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता बी.ए./बी.एड. होगी। अनुभवी एवं उच्चतम योग्यताधारी को वरीयता दी जावेगी। महिला स्टे होम हेतु महिला अभियार्थियों का ही चयन किया जावे।
- ✓ हिन्दी, गणित, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान आदि विषयों को पढ़ाने की पूर्ण योग्यता एवं उनकी सामान्य जानकारी हो।
- ✓ **वार्डन कम संदर्भ शिक्षक को परिषद् मुख्यालय (प्रशिक्षण शाखा) द्वारा तैयार मॉड्यूल आधारित 20 दिवसीय प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा।**

  अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, बीआरसीएफ/बीईईओ, सन्दर्भ शिक्षकों के उक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

17. मॉनीटरिंग एवं निरीक्षण –

- ✓ प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जावें।
- ✓ जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) माह में एक बार स्टे होम का निरीक्षण करेंगे।
- ✓ अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक/एपीसी भी माह में एक बार स्टे होम का निरीक्षण अवश्य करेंगे।
- ✓ बीआरसीएफ/बीईईओ सप्ताह में एक बार निरीक्षण कर सम्बलन प्रदान करेंगे।
- ✓ स्टे होम से सम्बन्धित लेखों की जांच सहायक लेखाधिकारी, जिला मुख्यालय माह में एक बार अवश्य करें।
- ✓ सीआरसीएफ नियमित निरीक्षण एवं संचालन सम्बन्धी समस्याओ का निराकरण सुनिश्चित करेंगे।

परिशिष्ट – 1

स्टे होम संचालन हेतु प्रस्ताव

1. नाम जिला :– ब्लाक–

2. स्टे होम का आयोजन स्थल–

3. विवरण –

सूची

नाम बालक/बालिका	पिता का नाम	जन्म तिथि	अनामांकित/ड्रॉप आउट	कारण

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि

(1) ये सब बालक/बालिकाऐं सत्र 2009–10 की स्टे होम अवधारणा में परिभाषित श्रेणी के अन्तर्गत आते है।
(2) चिन्हित बालक/बालिकाऐं किसी औपचारिक विद्यालय से जुडी हुई नहीं है।
(3) उक्त बालक/बालिका के अभिभावक से सहमति पत्र ले लिया गया है।
(4) सूची में अंकित बालक/बालिकाओं का स्टे होम के माध्यम से अध्यापन करवाकर मुख्य धारा में नामांकन सुनिश्चित किया जावेगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
सी.आर.सी.एफ /बीआरसीएफ/एपीसी	वार्ड पार्षद	प्रधानाध्यापक (स्थानीय संस्था)

प्रत्येक स्टे होम की उपरोक्त प्रमाणित सूची की छाया प्रति परिषद् मुख्यालय पर प्रेषित करें।

परिषद मुख्यालय को प्रेषित की जाने वाली सूचनायें एवं प्रपत्र

1. समस्त जिला परियोजना समन्वयक स्थान का चयन एवं बालक/बालिकाओं के चयन की संकलित सूचना ब्लॉकवार आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् जयपुर को निम्न प्रारूप में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

जिले का नाम	कच्ची बस्तियों का नाम	स्टेहोम का नाम/स्थान	स्टे होम हेतु चयनित स्थान	स्टे होम हेतु चयनित दो संदर्भ व्यक्तियों का नाम	कुल चयनित बालका/बालिकाओं की संख्या

आगन्तुक रजिस्टर–प्रपत्र

क्र. स.	दिनांक	नाम का आगन्तुक	आगन्तुक का पता	किससे मिलने आये	आने का कारण	रिश्ता	आने का समय	जाने का समय	हस्ताक्षर आगन्तुक	हस्ताक्षर व्यवस्थापक

साप्ताहिक मूल्यांकन प्रपत्र

बालक/बालिका का नाम :
शिक्षक/शिक्षिका का नाम :
बालक/बालिका का रजिस्टर क्रमांकः
स्टे होम का नाम :

दिनांक	सप्ताह	हिन्दी	अंग्रेजी	गणित	पर्यावरण विज्ञान	सामाजिक विज्ञान

बालक/बालिका स्तर प्रपत्र

क्र. स.	नाम छात्र	पोस्ट टेस्ट में प्राप्तांक	प्राप्त कक्षा स्तर	विद्यालय का नाम जिससे जोडा जावेगा

स्टे होम में बालक/बालिका हेतु आवेदन पत्र

पासपार्ट साईज़ का फोटा

1. जिला ————————————
2. ब्लॉक/पंचायत समिति ————————
3. संकुल का नाम ————————————————
4. ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम ————————
5. ग्राम का नाम ————————————
6. निवास स्थान का नाम———————— कोड

बालक/बालिका से संबंधित विवरण

1. बालक/बालिका का नाम ....
2. पिता/माता का नाम ....
3. (अ) 1 जनवरी 06 को आयु (ब) जन्म दिनांक
   वर्ष माह दिनांक माह वर्ष
4. जाति (कृपया संबंधित को √ करें)

एस.सी.	एस.टी.	ओबीसी	अल्पसंख्यक	सामान्य	अन्य

5. चाइल्ड ट्रकिंग सिस्टम हेतु प्रयुक्त ग्राम शिक्षा रजिस्टर क्रमांक जिसमें बालक–बालिका का नाम दर्ज हो
6. बालक/बालिका की उक्त ग्राम शिक्षा रजिस्टर में प्रविष्टि का विवरण

   पृष्ट संख्या क्र.स.
7. क्या बालक–बालिका का पूर्व सर्व में नाम नहीं आया है तो हाँ/नहीं (कृपया सम्बन्धित को √करे)
8. बालक/बालिका के निवास स्थान से विद्यालय की दूरी
9. बालक/बालिका के संरक्षक/अभिभावक परिवार का व्यवसाय
10. बालक–बालिका के संरक्षक/अभिभावक परिवार की मासिक आय (रू. में)
11. क्या बालक–बालिका का परिवार बीपीएल सूची में सम्मिलित है
    (कृपया सम्बन्धित को √ करे) हाँ नहीं

    जाँच के उपरान्त प्रमाणित किया जाता है कि उक्त बालक/बालिका स्टे होम में प्रवेश लायक है।

दिनांक ....

हस्तास्क्षर अभिभावक **हस्ताक्षर एपीसी** **हस्ताक्षर अध्यक्ष (प्रधानाध्यापक) एस.डी.एम.सी**

अरबन स्लम कार्यक्रम–स्टे होम (संशोधन)

भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान की कार्य योजना एवं बजट सत्र 2010–11 हेतु नवाचारी मद की उपमद Education for Deprived Children के लिए ''स्टे होम'' गतिविधि का अनुमोदन किया गया है, जिसके अनुसार जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न प्रकार है।

क्रसं.	जिले का नाम	Activities + Target Stay Home	
		Phy.	**Fin.**
1	अजमेर	150	15.00
2	बीकानेर	85	8.490
3	भरतपुर	50	5.000
4	जयपुर	150	15.000
5	जोधपुर	150	15.000
6	कोटा	100	10.000
7	उदयपुर	80	7.900
	योग	**765**	**76.390**

पूर्व में जारी दिशा निर्देश पत्र क्रमांक 19132 दिनांक 04.06.10 के अनुसार बालक/बालिकाओं की संख्या में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है –

क्रसं.	जिले का नाम	पूर्व में भेजी गई बालक/बालिकाओ की संख्या	संशोधित बालक/बालिकाओं की संख्या	कैम्पों की संख्या
1	अजमेर	140	150	3
2	बीकानेर	80	85	2
3	भरतपुर	40	50	1
4	जयपुर	140	150	3
5	जोधपुर	140	150	3
6	कोटा	90	100	2
7	उदयपुर	70	80	2
	योग	**700**	**765**	**16**

नोट –

- स्टे होम के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि इस मद के अन्तर्गत अनुमोदित नहीं है।
- शेष शर्ते एवं दिशा निर्देश पूर्व में जारी पत्र क्रमांक राप्राशिप/जय/नवा.शि./अरबन स्लम/10–11/19132 दिनांक 04.06.10 के अनुसार यथावत रहेंगे।

अरबन स्लम

टाईम लाईन चार्ट –

अरबन स्लम शिक्षा की गतिविधि का टाईम लाईन चार्ट निम्नप्रकार है –

Sr. No.	Activity	Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	May	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Oct.	Nov.	Dec.
1	स्टे होम												